हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

29 जनवरी, 1988

सं. सा. का. नि. 8/संवि./अनु. 309/88.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सिविल दन्त्य (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा सिविल दन्त्य (ग्रुप क) सेवा नियम, 1987, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; अथवा

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; और

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल दन्त्य (ग्रुप क) सेवा।

पदों की संख्या और स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बनाए गए पद होंगे और सेवा के सदस्य उनके सामने दिखाए गए वेतनमानों में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले, पहली जनवरी को बत्तीस वर्ष से कम या पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती तथा स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं और अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जाएगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसे करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (i) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— भर्ती का ढंग।

(क) सहायक निदेशक (दन्त्य) की दशा में —

(i) दन्त्य सर्जन में से पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत ; तथा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत ;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानातरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) वरिष्ठ वन्य सर्जनों की दशा में, —

(i) वन्य सर्जनों में से पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत ; तथा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत ;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कि अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं यो आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए हकदार नहीं बनाएंगी

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक व की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति नियुक्ति प व्यतीत की गई कोई अवधि–परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ;

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी ,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु, परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा के किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग निश्चित की जाएगी परन्तु यह और कि एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि वह एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ; और

(ग). पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था ; और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा-काल के अनसार और यदि सेवा-काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12(1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश किए जाने पर, ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलें ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां और अपीलें।

14 (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में निर्दिष्ट है।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ग) या खंड (ध) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ;

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निजी व्यवसाय।

20. सेवा का कोई भी सदस्य निजी व्यवसाय नहीं करेगा।

निरसन।

21. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में-से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ में तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	(पदों की संख्या) स्थायी	अस्थायी	जोड़		वेतनमान
1	2	3	4	5		6
1	सहायक निदेशक (दन्त्य)	—	1	1	रु०	3000—100—3500—125—4500
2	वरिष्ठ दन्त्य सर्जन	—	5	5	रु०	3000—100—3500—125—4500

परिशिष्ट "ख"
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए और स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए, शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव, यदि कोई हो	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक (दन्त्य)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम०डी०एस० की स्नातकोत्तर अर्हता ।	हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में सहायक दन्त्य शल्य चिकित्सक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ।
		(ii) हरियाणा दन्त्य परिषद् या भारत संघ में किसी अन्य परिषद् में दन्त्य चिकित्सक अधिनियम, 1948, के भाग "क" में दन्त्य शल्य चिकित्सक के रूप में पंजीकृत ।	
		(iii) अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् दन्त्य व्यवसाय और अस्पताल में पांच वर्ष का अनुभव ।	
		अथवा	
		बी०डी०एस० पास करने के पश्चात् किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन सहायक दन्त्य शल्य चिकित्सा या दन्त्य शल्य चिकित्सक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक स्नातकोत्तर अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् का होना चाहिए ।	
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
2	वरिष्ठ दन्त्य शल्य चिकित्सक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम०डी०एस० की स्नातकोत्तर अर्हता ।	उपरिलिखित ।
		(ii) हरियाणा दन्त परिषद् या भारत संघ में किसी अन्य परिषद् में दन्त्य चिकित्सक अधिनियम 1948, के भाग "क" में दन्त्य शल्य चिकित्सक के रूप में पंजीकृत ।	

1	2	3	4
		(iii) अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् दन्त्य व्यवसाय और अस्पताल में पांच वर्ष का अनुभव । अथवा बी. डी. एस. पास करने के पश्चात् किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन सहायक दन्त्य शल्य चिकित्सक या दन्त्य शल्य चिकित्सक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक स्नातकोत्तर अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात् का होना चाहिए। (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	

परिशिष्ट "ग"

[देखिए नियम 14(i)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए शसक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
			छोटी शास्तियां	
1.	सहायक निदेशक (दन्त्य)	सरकार	(क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;	
			(ख) परिनिन्दा ;	
			(ग) पदोन्नति रोकना ;	
			(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई किसी धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	
			(ङ) वेतन-वृद्धियां रोकना ;	
			बड़ी शास्तियां	
			(च) समय-मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ;	
			(छ) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर अवनति ;	
			(ज) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;	
			(झ) सेवा से हटाया जाना, जो भावी नियोजन के लिए निरर्हित नहीं करता ;	

परिशिष्ट "घ"

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेशक का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	सहायक निदेशक (दन्त्य)	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	
2.	वरिष्ठ दन्त्य-सर्जन	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	सरकार

टी. डी. जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 29th January, 1988.

No. G.S.R.8/Const/Art.309/88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Haryana Civil Dental (Group A) Service, namely:—

PART-I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Civil Dental (Group A) Service Rules, 1987. Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires— Definitions

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "recognised university" means—

(i) any university incorporated by Law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind, or Dacca Universtity ; or

(iii) any other university which is declared by government to be a recognised university for the purpose of these rules, ;and

(e) "Service" means Haryana Civil Dental (Group A) Service.

PART II

Recruitment to Service

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules and the members of the Service shall draw pay in the scales of pay shown there against : Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless h is—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ;or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzenia (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direc recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principa academic officer of the university, college, school of institution last attende if any, and similar certificates from two other responsible persons, not beir his relatives who are well acquainted with him in his private life and a unconnected with his university, college, school or institution.

Age

5. No person shall be appointed to any post in the Service by dir recruitment who is less than thirty-two years or more than forty five ye of age, on the 1st January, next preceding the last date of submission of ap cations to the Commission.

Appointing authority

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Go ment.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unl possession of qualifications and experience specified in column 3 of dix B to these rules in the case of direct recruitment and for apointm transfer and those specified in columns 4 of the aforesaid Appendix case of appointment by promotion.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualificat garding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the d of the Commission or any other recruiting authority in case sufficien of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-se and physically handicapped candidates, possessing the requisite e are not available to fill up the vacancies reserved for them, after reasons for so doing in writing.

Qualifications.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Mothod of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

(a) in the case of Deputy Assistant Director (Dental)—

(i) 75% by promotion from amongst Dental Surgeons; and

(ii) 25% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) in the case of Senior Dental Surgeons—

(i) 75% by promotion from amongst—Dental Surgeons; and

(ii) 25% by direct recruitment; or

(iii) by transfer on deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that—

(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period on probation of a person, the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if—appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwsie revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and condition of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation, including if any, shall not exceed three years.

Seniority

11. Seniority, inter-se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the commission shall not be d[illegible] in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to service at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or a substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave Pension and other matters.

13. In respect of a pay, leave pension and all other matters not as expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the state Legislature.

Discipline penalities and appeals.

14. (1) In matters, relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be goarned by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be, as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service, shall got himself vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the service, unless he had already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Private practice.

20. No member of the service shall do private practice.

Repeal and Savings.

21. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sr. No.	Designation of Post	Number of Posts Permanent	Number of Posts Temporary	Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director (Dental)	..	1	1	Rs. 3,000—100—3,500—125—4,500
2	Senior Dental Surgeons	..	5	5	Rs. 3,000—100—3,500—125—4,500

APPENDIX B

(*See* rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment and for appointment by transfer	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by promotion
1	2	3	4
1	Assistant Director (Dental)	(i) Post-graduate qualification of M.D.S. from a recognised University or Institution (ii) Registered as Dental Surgeon on Part 'A' of the Dentists Act, 1948 with Haryana Dental Council or any other Council in Indian Union (iii) Five years standing in Dental profession and hospital experience after acquiring the requisite qualifications OR 10 years experience as Assistant Dental Surgeon or Dental Surgeon under any State or Central Government after passing B.D.S. out of which atleast two years experience should be after acquiring the required post graduate qualifications (iv) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	Eight years experience in the Haryana Health Department as Dental Surgeon.
2.	Senior Dental Surgeons	As for Assistant Director (Dental)	As for Assistant Director (Dental)

APPENDIX C
[See rule 14(1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
1. Assistant Director (Dental) 2. Senior Dental Surgeon		Government	Minor Penalties (a) Warning with a copy in the personal file (Character roll) ; (b) Censure ; (c) Withholding of promotion ; (d) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders ; (e) Withholding of increments of pay ; Major penalties (f) reduction to a lower stage in a time scale of pay ; (g) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service ; (h) compulsory retirement ; (i) removal from the Service which does not disqualify from future employment ; (j) dismissal from the Service which does ordinarily disqualify from future employment.	

Note.—Aforesaid penalties, shall be as defined in sub-rule (1) of rule 4 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987.

APPENDIX D

[*See* Rule 14(2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Director (Dental)	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension	Government	—
2	Senior Dental Surgeon	(ii) Terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation		

T. D. JOGPAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

27839CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.